कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 212/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 04.06.2026

थाना- पवई, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति के तहत कार्रवाई: नाबालिग पीड़िता सकुशल बरामद, बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में

पूर्व की घटना– दिनांक 09.02.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि वादिनी की पुत्री मौसी के घर गयी थी। जहां से महुआ बाबा गयी और विपक्षी 01 बाल अपचारी वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसके सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0- 28/26 धारा 137(2), 87, 64(1) *BNS* व 4(2) पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 03.06.2026 को पीड़िता की बरामदगी कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 04.06.2026 को उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह (शादे वस्त्रों में) द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 बालअपचारी को सरायपुल तिराहे से समय करीब 05:42 बजे पुलिस संरक्षण में लेकर मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 28/26 धारा 137(2), 87, 64(1) *BNS* व 4(2) पाक्सो एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम– उ0नि0 संतोष कुमार यादव, का0 आलोक कुमार सिंह थाना पवई, जनपद- आजमगढ़ ।(शादे वस्त्रों में)

थाना- कन्धरापुर, जनपद- आजमगढ़।

टीटी की नौकरी दिलाने के नाम पर 9.63 लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार

फर्जी टीटी आईडी बनाकर लाखों की ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 07.05.2026 को वादी मुकदमा जनार्दन यादव पुत्र स्व० बहोर यादव निवासी ग्राम- इसहाकपुर, थाना-कन्धरापुर, जनपद-आजमगढ़ द्वारा थाना कन्धरापुर पर तहरीर दिया गया था कि वादी के पुत्र अमन को टीटी के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर विपक्षियों ने 09 लाख 63 हजार 500 रूपये ले लिये तथा कुट रचित टीटी की आईडी कार्ड बनाकर दे दिये जब वादी द्वारा पैसे मांगा गया तो गाली गलौज देने लगे जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 108/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) BNS बनाम 08 नफर पंजीकृत किया गया।

➡ पूर्व में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चूका है।

अभियुक्त संदीप श्रीवास्तव पुत्र विनोद श्रीवास्तव स्थायी निवासी ग्राम टिसौरा थाना जमानिया गाजीपुर, वर्तमान पता- मकान नं0-5/35 p2p कमला नगर कालोनी थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 37 वर्ष को दिनांक 03.06.2026 समय करीब 15.50 बजे ग्राम टिसौरा थाना जमानिया गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण– **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार** द्वारा नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों एवं अपराध पर अंकुश लगाने हेतू चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 03.06.2026 को व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप श्रीवास्तव पुत्र विनोद श्रीवास्तव स्थायी निवासी ग्राम टिसौरा थाना जमानिया गाजीपुर, वर्तमान पता- मकान नं0-5/35 p2p कमला नगर कालोनी थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 37 वर्ष को ग्राम टिसौरा थाना जमानिया जनपद गाजीपुर से समय करीब 15.50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- अभियुक्त संदीप श्रीवास्तव पुत्र विनोद श्रीवास्तव स्थायी निवासी ग्राम टिसौरा थाना जमानिया गाजीपुर, वर्तमान पता- मकान नं0-5/35 p2p कमला नगर कालोनी थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 37 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 108/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) BNS थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना कन्धरापुर आजमगढ
2. रि0का0 अजीत कुशवाहा थाना कन्धरापुर आजमगढ़
3. रि0का0 राम सिंह थाना कन्धरापुर आजमगढ
4. रि0म0का0 अनीता गुप्ता थाना कन्धरापुर आजमगढ

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
मोबाइल चोरी की घटना का सफल अनावरण, अभियुक्त गिरफ्तार
चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद

घटना का विवरण-

वादी राजू पुत्र हरिलाल निवासी ग्राम बजारेपुर, थाना केराकत, जनपद जौनपुर द्वारा थाना देवगांव पर तहरीर दी गई कि दिनांक 19.05.2026 को उनके ढाबा "जायका फैमिली रेस्टोरेंट", टीकरगढ़ लालगंज से उनका मोबाइल फोन (Motorola G35) चोरी हो गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 217/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम रवि यादव पुत्र बसन्ता यादव निवासी भगवानपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी-

उ0नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय प्रभारी चौकी लालगंज मय हमराह द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं गश्त के दौरान प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर अभियुक्त रवि यादव पुत्र स्व0 बसन्ता यादव निवासी भगवानपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को दिनांक 04.06.2026 को समय 02:22 बजे कैथीशंकरपुर हाईवे अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके कब्जे से कुल **03 अदद चोरी के मोबाइल फोन** बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2), 317(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रवि यादव पुत्र स्व0 बसन्ता यादव निवासी भगवानपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 217/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

- 03 अदद चोरी के मोबाइल फोन

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय, प्रभारी चौकी लालगंज, थाना देवगांव
2. का0 कमल चौरसिया
3. रि0का0 मन्टू कुमार
4. रि0का0 नीरज चौरसिया

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने एवं शादी तुड़वाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद

पूर्व की घटना-

दिनांक 27.05.2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 138/26 धारा 69, 351(3) बीएनएस एवं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट बनाम सरवन कुमार यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी श्रीकान्तपुर थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोप था कि अभियुक्त द्वारा फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर विवाह में बाधा उत्पन्न की गई तथा अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता का शोषण किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 03.06.2026 को उ0नि0 मयंक कृष्ण उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर रानी की सराय बाईपास क्षेत्र से अभियुक्त सरवन कुमार यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी श्रीकान्तपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को समय करीब 11:23 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल फोन (वीवो V70)

गिरफ्तार अभियुक्त-

- सरवन कुमार यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी श्रीकान्तपुर थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 138/26 धारा 69, 351(3) बीएनएस एवं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मयंक कृष्ण उपाध्याय
2. हे0का0 हौसिलानन्द यादव
3. का0 कृष्णचन्द्र

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

साइबर थाना/साइबर सेल एवं थाना कोतवाली की त्वरित कार्रवाई, साइबर फ्रॉड के शिकार महिला के खाते में वापस कराए गए ₹98,000

घटना का विवरण-

आवेदिका सुनैना यादव पत्नी प्रदीप यादव उर्फ गामा यादव निवासी शेखपुरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ के बैंक खाते से बिना किसी जानकारी एवं अनुमति के ₹98,001 की धनराशि कट गई। खाते से धनराशि कटने का संदेश प्राप्त होने पर आवेदिका द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई।

शिकायत संख्या **23103260049486** पर थाना कोतवाली के साइबर प्रभारी एवं उनकी टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए साइबर पोर्टल के माध्यम से संबंधित बैंक एवं एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया गया। त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप आवेदिका के खाते में **₹98,000 की पूरी धनराशि वापस कराई गई।**

जनसामान्य हेतु साइबर सुरक्षा संदेश-

वर्तमान समय में साइबर अपराधी विभिन्न तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, जैसे—

- फर्जी बैंक अधिकारी बनकर कॉल करना।
- केवाईसी अपडेट, बिजली बिल, गैस कनेक्शन या पैन कार्ड अपडेट के नाम पर लिंक भेजना।
- व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सोशल मीडिया पर फर्जी निवेश योजनाओं का लालच देना।
- स्क्रीन शेयरिंग एवं रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड कराना।
- ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी या बैंकिंग विवरण प्राप्त करना।
- फर्जी जॉब, लोन एवं ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर के माध्यम से ठगी करना।

बचाव के उपाय-

- किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी या बैंकिंग जानकारी साझा न करें।
- किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
- किसी के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग/रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड न करें।
- सोशल मीडिया पर प्राप्त निवेश एवं नौकरी संबंधी ऑफरों की सत्यता अवश्य जांच लें।
- बैंक खाते से अनधिकृत लेन-देन होने पर तत्काल **1930** पर कॉल करें।
- ऑनलाइन शिकायत हेतु **www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज करें।
- अपने बैंक एवं निकटतम थाना/साइबर हेल्प डेस्क को तत्काल सूचित करें।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सागर कुमार रंगू, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. का0 नीरज पटेल, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
3. का0 राजन कुमार गोड़, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
पाक्सो एक्ट के गंभीर प्रकरण में पुलिस की त्वरित कार्रवाई, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 03.06.2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 196/26 धारा 64 बीएनएस एवं 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम अंकित यादव पुत्र मनोज यादव निवासी ग्राम कुडिहर, पोस्ट गोड़हरा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमे में धारा 3/4 पाक्सो एक्ट को संशोधित करते हुए धारा 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.06.2026 को उ0नि0 सुरेश चन्द्र मिश्र मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अंकित यादव पुत्र मनोज यादव निवासी ग्राम कुडिहर, पोस्ट गोड़हरा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को चौकी मोड़ क्षेत्र से समय करीब 07:35 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अंकित यादव पुत्र मनोज यादव निवासी ग्राम कुडिहर, पोस्ट गोड़हरा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 196/26 धारा 64 बीएनएस एवं 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुरेश चन्द्र मिश्र, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. का0 नितिन श्रीवास्तव, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

☐ 05 जनपदों में 18 अभियुक्तों की फर्जी जमानत कराने वाला आरोपी गिरफ्तार

☐ हत्या, लूट, डकैती व गैंगस्टर के अभियुक्तों की फर्जी जमानत कराने वाले गिरोह का खुलासा

☐ 08 मोहर, 08 आधार कार्ड व अन्य कूटरचित दस्तावेज बरामद

पूर्व की घटना-

दिनांक 30.05.2026 को उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप, चौकी प्रभारी कचहरी, थाना कोतवाली नगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित सूचना दी गई कि कुछ तथाकथित जमानतदारों द्वारा अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गंभीर आपराधिक मामलों में निरुद्ध अभियुक्तों की कूटरचित अभिलेखों के आधार पर जमानत कराई जा रही है। जांच में एक ही जमानतदार द्वारा कई अभियुक्तों की जमानत एक ही अभिलेख के आधार पर कराए जाने तथा एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करने की जानकारी प्राप्त हुई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 267/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 111 एवं 61(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जीयनपुर पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली के उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त **दयाराम पुत्र जानकी प्रसाद निवासी रामपुर कला, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर** को दिनांक 03.06.2026 को समय करीब 22:35 बजे जमसर स्थित रॉयल स्टार ढाबा के बाहर से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ एवं विवेचना में खुलासा-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ एवं विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा कूटरचित अभिलेखों एवं फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर **जनपद अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा एवं गोरखपुर में कुल 18 अभियुक्तों की फर्जी जमानत कराई गई है।** प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों एवं गिरोह के सदस्यों की भूमिका की जांच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

दयाराम पुत्र जानकी प्रसाद निवासी रामपुर कला, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी-

- 08 अदद विभिन्न मोहरें
- 01 अदद इंक पैड
- 04 अदद खतौनी की प्रतियां
- 08 अदद आधार कार्ड
- 01 अदद आधार कार्ड की छायाप्रति
- 01 अदद सादा कागज

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 267/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 111 एवं 61(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह, थाना जीयनपुर
2. उ0नि0 अमित कुमार वर्मा
3. हे0का0 राजेश कुमार
4. का0 अजय कुमार
5. का0 प्रदीप गुप्ता
6. रि0का0 आलोक कुमार प्रजापति थाना जीयनपुर आजमगढ़।

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

पाक्सो एक्ट के अभियोग में रौनापार पुलिस की कार्रवाई, नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 04.04.2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 86/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी, बयान एवं मेडिकल परीक्षण के आधार पर मुकदमे में धारा 64 बीएनएस तथा 5(J)(2)/6 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

उ0नि0 गुलाब यादव मय हमराह द्वारा दिनांक 04.06.2026 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त सुनील पासवान पुत्र जगपत पासवान निवासी ओढ़रा सलेमपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना पर हाजीपुर बाजार से समय करीब 06:25 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुनील पासवान पुत्र जगपत पासवान निवासी ओढ़रा सलेमपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 86/26 धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस एवं 5(J)(2)/6 पाक्सो एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 गुलाब यादव, थाना रौनापार
2. का0 विकास पटेल, थाना रौनापार

थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

दुष्कर्म के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 03.06.2026 को थाना कप्तानगंज पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 168/2026 धारा 123, 70(2), 137(2), 351(3), 352 बीएनएस एवं 5(G), 6 पाक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) तथा क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के पर्यवेक्षण में थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **अमन यादव पुत्र रामाश्रय यादव निवासी ग्राम कादीपुर खुदकस्त थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़** को दिनांक 03.06.2026 को कोईनहां मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष जय प्रकाश, थाना कप्तानगंज
2. रि0का0 अर्पित सिंह
3. रि0का0 रवि कुमार गुप्ता
4. आरक्षी सुधांशु सिंह